श्रमायुक्त सेवाएं

अपर श्रमायुक्त

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधान अनुरूप श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करना मुख्य दायित्व है। श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हितों का संरक्षण करते हुए औद्योगिक शांति स्थापित कर औद्योगिक विकास मेंयोगदान दिया जाता है।विभाग विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन, श्रमिकों की मजदूरी एवं अन्य हितलाभ का संरक्षण तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है।

- **श्रम अधिनियम एवं प्रवर्तन का दायित्व**

क्र.	विषय	श्रम कानून का नाम	
1	*2*	*3*	
1	औद्योगिक संबंध विषयक	I	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
		Ii	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
		Iii	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
		Iv	छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961
2	मजदूरी एवं अन्य भुगतान विषयक	I	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
		Ii	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
		Iii	बेनस भुगतान अधिनियम, 1965
4	कतिपय नियोजनों में श्रमिकों के कार्य दशाओं के विनियमन विषयक	I	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1958
		Ii	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966
		Iii	संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
		Iv	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
		V	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996
		Vi	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं का छूट) अधिनियम, 1988
		Vii	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979
		viii	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम,

			1976
		Ix	श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
5	महिला समानता एवं सशक्तिकरण विषयक	I	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
		Ii	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
6	बाल एवं बंधक श्रमिक विषयक	Iii	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
		Iv	बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
7	क्षतिपूति, भविष्य निधि एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा	Iv	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
8	श्रम कल्याण निधि विषयक	I	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
		Ii	छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

- संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके कल्याण से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना है। संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं श्रमिकों को व्यवसाय जन्य बीमारी से सुरक्षित करने हेतु अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदंडो का पालन करवाता है, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य दशा तथा स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके।

- **संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा प्रवर्तनीय अधिनियम :–**

  - कारखाना अधिनियम, 1948
  - वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
  - मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियम परिसंकटमय रसायनों के भण्डारण एवं आयात नियम, 1989
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियम रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना तैयारी एवं अनुक्रिया) नियम, 1996

- **संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्य**

  - प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों/अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कारखानों में विशेषकर खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
  - प्रदेश के सभी बड़े एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रति वर्ष 4 मार्च को औद्योगिक सुरक्षा दिवस प्रभावी ढंग से मनाने के लिए दिशा–निर्देश दिया जाता है, जिसमें कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा सुझाव, सुरक्षा संगोष्ठी, सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन, अग्नि शमन प्रशिक्षण एवं ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान की मॉकड्रील कराई जाती है।
  - कारखाने में नियोजन से पूर्व श्रमिकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है।

- खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानें एवं सिलिकोसिस प्रोन कारखानों का कारखानें में कार्यरत श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण की सुनिश्चित किया जाना।
- जोखिम पूर्ण कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार ऑक्युपेशनल हेल्थ सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कारखानों में स्थापित मशीने जैसे–क्रेन, लिफ्ट, सिलिंग प्रेशर वैसल्स आदि का परीक्षण मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से कराया जाना सुनिश्चित करना। फ्रॉक लिफ्ट, वाहन क्रेन चलाने वाले श्रमिकों की आंखों की जॉच कराया जाना सुनिश्चित करना।
- कारखानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बड़े कारखानों में ठेका श्रमिकों का प्रशिक्षण हेतु विस्तृत माहवार कैलेण्डर तैयार कराया गया है, जिससे की कारखानों में नियुक्त होने वाले ठेका श्रमिकों को उपयुक्त एवं सही प्रकार की नियमित प्रशिक्षण कारखानों के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हो सके।